निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या- 08/2022 दायर दिनांक-28.02.2022

उनवान

1. श्री नरेश पिता स्व. श्री गुमानेंग, जाति पटेल आयु वयस्क निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा। (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री भारता पुत्र स्व. देवा, जाति पटेल आयु वयस्क निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा।
2. मणी पत्नी स्व. श्री गुमानेंग, जाति पटेल आयु वयस्क निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा।
3. श्री कालु पुत्र स्व. देवा, जाति पटेल आयु वयस्क निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा।
4. हरिश पिता स्व. श्री गुमानेंग, जाति पटेल आयु वयस्क निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा ।
5. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा। (अप्रार्थीगण)

उपस्थिति

1. श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अंकित गोस्वामी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा--136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः-31.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता सख्या 899 नया, 273 पुराना के आराजी सर्वे नम्बर 100 रकबा 0.9223 है.,

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

9460945340

सर्वे नम्बर 534 रकबा 0.7847 है., सर्वे नम्बर 193 रकबा 0.5097 है., सर्वे नम्बर 194/1 रकबा 0.9223 है., कुल खेत नंग 04, कुल रकबा 2.4432 है. कुल लगानी 4.95 रूपया, वाके ग्राम ठिकरिया, पटवार मण्डल ठिकरिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ठिकरिया तह. व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पर मैं प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अभी कुछ समय पूर्व प्रार्थी को पता चला कि, सर्वे नम्बर 194/1 रकबा 5.14 बीघा की तरमीम गलत तरीके से सर्वे नम्बर की भूमि अन्य सर्वे नम्बर की भूमि में मिल गया है। जिस पर वादी ने ग्राम ठिकरिया स्थित सर्वे नम्बर 194/1 रकबा 5.14 बीघा की तरमीम शुद्धि नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि कराने के लिए एक लिखित प्रार्थना पत्र मय वांछित दस्तावेजों सहित दिनांक 14.12.21 को श्रीमान् तहसीलदार, महोदय बांसवाडा को प्रस्तुत किया गया एवं पटवारी पटवार हल्का ठिकरीया द्वारा उक्त सर्वे नम्बर की तरमीम शुद्धि व ऑनलाइन नक्शे में शुद्धि व ऑनलाइन नक्शे में शुद्धि करने हेतु एक पत्र श्रीमान् तहसीलदार बांसवाडा, को प्रस्तुत किया गया हैं लेकिन आज दिन तक प्रार्थी के उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि की तरमीम व ऑनलाइन नक्शा लट्ठा में हुई त्रुटि की शुद्धि नहीं की गई है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि को ओर उपजाऊ व विकसित करने हेतु ऋण प्राप्त करने तथा राजकीय कार्यों में भी काफी दिक्कते आ रही है। उक्त खाता सर्वे नम्बर की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड के नक्शा लट्ठा व तरमीम में गलत अंकन कर दिया है। उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि में मौके व कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यदि राजस्व दस्तावेजों में दुरस्ती कर संशोधन नहीं किया गया जो प्रार्थी को भविष्य में ऐसी असहाय हानि होगी जिसका रुपयों में मूल्यांकन होना असंभव होगा तथा प्रार्थी अपने हक व अधिकार तथा कई प्रकार के लाभों से वंचित रह जायेंगे और प्रार्थी को भविष्य में अनेक कार्यवाहियों का सामना करना पडेगा। प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आपदा प्रबन्धन कोष से सहायता राशि प्राप्त करने के दौरान पता चला, कि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड के नक्शा लट्ठा तरमीम व ऑनलाइन नक्शे में गलत अंकित कर दिया है। जिस पर प्रार्थी आवश्यक राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर रहा है। प्रार्थना पत्र का व्यवहार कारण हल्का पटवारी के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का कहे जाने से एवं प्रार्थी द्वारा इस संबंध में राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

दस्तावेजों की प्रमाणित नकल निकलवाने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि, राजस्व दस्तावेजों में उपरोक्त सर्वे नम्बर की तरमीम नक्शा लट्ठा व ऑनलाइन नक्शे में गलत अंकित कर दिया है, अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त राजस्व दस्तावेज में सर्वे नम्बर 194/1 रकबा 5.14 बीघा की तरमीम शुद्धि व सही कराने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार बांसवाड़ा को आदेश प्रदान किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान पूर्व से ही अभिलेख पर होने से डिलिट किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का इकबालिया जवाब अप्रार्थीगण सं. 2,3,4,5, ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व दस्तावेज में सर्वे नम्बर 194/1 रकबा 5.14 बीघा की तरमीम शुद्धि नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि व सही किया जावें। जिससे हम अप्राथीगण सं. 2,3,4,5 को कोई आपत्ति नहीं होकर सहमत है।

तहसीलदार बांसवाड़ा ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल ठिकरिया के राजस्व ग्राम ठिकरिया की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-77 खाता संख्या 899 नया 273 पुराना में दर्ज खसरा नम्बर 194/1 रकबा 0.9223 है. (5-10 बीघा) भूमि किस्म काली कदीम वादी नरेश पिता स्व. गुमानेंग हिस्सा 11/48 जाति पटेल व अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के पास वर्ष 2011 में दिनांक 13/06/2011 राजस्व नक्शें की छायाप्रति एवं लगभग 40-50 वर्ष पूर्व कृषि जोत के पास बुक के साथ संलग्न नक्शों की छायाप्रति अनुसार दर्शायी गई अन्य खसरों की तरमीमें एवं प्रार्थी के स्वयं के खसरा नम्बर 194 की सेटलमेंट तरमीम एवं लाल स्याही से पुख्ता तरमीम तथा वर्तमान मौके पर प्रार्थी द्वारा बताया काबिज रकबे के अनुसार प्रार्थी का कब्जा है। जो कि सही है। वर्तमान में राजस्व नक्शा जीर्ण-शीर्ण तथा समय अन्तराल में माही विभाग की नहर निकल जाने से जिस प्रकार से तरमीम अंकित की उसमें की गई है। भिन्नता उत्पन हो गई है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी का आराजी नम्बर 194 एवं उसका भू-भाग(अन्य बट्टा नम्बर) राजस्व ग्राम पलोदरा की सीमा पर स्थित है। जिसके कारण 916/194 एवं 917/194 जो कि अन्य खातेदारो के है। उनकी तरमीम ग्राम पलोदरा की सीमा तक सहवन से कर दी गई है। जो गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न लट्ठे नक्शें अनुसार वर्तमान लट्ठा नक्शें में तथा ऑनलाईन नक्शे में तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु रिपोर्ट पेश की।

पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन बहस विद्वान अधिवक्ता पर करने के उपरान्त हम हस्तगत प्रकरण का निर्णय करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र-प्रार्थी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में सर्वे नम्बर 194/1 रकबा 5.14 बीघा की तरमीम शुद्धि नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि व सही किया जाने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस (तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा सत्यापित) के आदेश दिया जाता है। निर्णयमय आदेश की सत्यप्रति तहसीलदार बांसवाड़ा को वास्ते नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner